



ज्ञान और वैराज्य से अपने आप की रक्षा होती है,

लौकिक ज्ञान और राग तो हमारे लिये अधिशेष है।

While knowledge and detachment are protector of self but ignorance and attachment are curse for us.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

# दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 67 ● वर्ष : 12 ● रायपुर, शनिवार 24 अगस्त 2024 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

## मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्धारित गुणवत्ता से पौधे लगाने और पर्यावरण के लिए हैं निर्देश

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ में बन विभाग द्वारा किए गए वृक्षरोपण कार्यों में अनियमिताएं पाए जाने पर राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाइ की है। विभाग के अधिकारियों द्वारा वृक्षरोपण कार्य में निर्धारित मापदंडों का पालन न करने और लापरवाही बरतने के मामले में असफल वृक्षरोपण पर हुए व्यय को शासन की की तीव्र क्षति माना है। कोरबा और राजनांदगांव बनमंडल के संबंधित अधिकारियों से इस अनियमितता के चलते 9 लाख 90 हजार 357 रुपये की वसूली की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा वृक्षरोपण कार्यक्रम को प्रदेश में सफल बनाने के लिए निर्धारित गुणवत्ता के साथ पौधे लगाने एवं उसके पर्यावरण के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य की जा रही है। इस तारीख पर मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख द्वारा वर्ष 2023-24 में विताए वर्षों के वृक्षरोपण में मूल्यांकन के आधार पर असफल वृक्षरोपण से शासन को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से अन्य संबंधित व्यक्तियों से वसूली गई है, जिन्हें वृक्षरोपण कार्य में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। कोरबा वनमंडल के

बन विभाग में वृक्षरोपण में अनियमिताएं संबंधित अधिकारियों से 9.90 लाख रुपये की वसूली



बल प्रमुख छत्तीसगढ़ से प्राप्त जनकारी के अनुसार कोरबा वनमंडल के परिक्षेत्र अधिकारी परस्वघेत्र श्री योगनालाल ध्वनि से सौल्वा (ब) और जनकारी को लेकर वनमंडल के तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी वाघनदीरी श्री बलदाल प्रसाद चौबे से कक्ष क्रमांक- आर.एफ. 595 रोपण में हुई अनियमितता के लिए 5 लाख 19 हजार 300 रुपये की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त वन मंडल कोरबा के तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बाल्के श्री शमशूदीन फारूकी से 1 लाख 41 हजार 275 रुपये की वसूली की गई है।

बन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना आशयक है, और इस दिशा में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त वन मंडल कोरबा के तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बाल्के श्री शमशूदीन फारूकी से 1 लाख 41 हजार 275 रुपये की वसूली की गई है।

बल प्रमुख छत्तीसगढ़ से प्राप्त जनकारी के अनुसार कोरबा वनमंडल के परिक्षेत्र अधिकारी श्री योगनालाल ध्वनि से सौल्वा (ब) और जनकारी को लेकर वनमंडल में संबंधित अधिकारियों द्वारा वृक्षरोपण कार्य में लापरवाही बरती गई। इन मामलों में कुल 9 लाख 90 हजार 357 रुपये की वसूली की गई है। यह राशि उन अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से वसूली गई है, जिन्हें वृक्षरोपण कार्य में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। कोरबा वनमंडल के





# संपादकीय

## कानूनी सिद्धांत सभी अपराधों पर लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कहे आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोपी को जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जमानत वियम है-जेल अपराध है, और यह कानूनी सिद्धांत सभी अपराधों पर लागू होता है।

जैन-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) जैसे विशेष कानूनों के तहत दर्ज अपराधों में भी यह लागू होता है। पीठ ने कहा कि यह अदालतें उचित मामले में जमानत देने से इकार करना शुल्क कर देनी तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। बैशक, अभियोजन के आरोप बहुत जंबीर हो सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना अदालत का कर्तव्य है। जलालुदीन खान पर प्रतिविधित संगठन पीएफआई के कथित सदस्यों को अपने घर की ऊपरी मंजिल किया एवं पर देने पर यूपीए लगाया गया था।

साथ ही, अब खलम हो चुकी आईपीसी की अन्य अनेक धाराओं के तहत भी अनेक मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। आरोप हैं कि किया एवं लिए गए इस परिसर का इस्तेमाल हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के प्रशिक्षण और अपराध की साजिश रखने के मकसद से बैठकें करने के लिए किया गया। राष्ट्रीय अवलोकन अभियान (एनआई) की जांच से पता चला कि यह आपाधिक साजिश आतंक फैलाकर देश की एकता एवं असंतोष को खत्तरे में डालने के लिए रची गई।

2022 में प्रधानमंत्री की प्रस्तावना यात्रा के दौरान विहार पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर खान के घर पर छोपमारी की थी। हकीकत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 2022 के एनसीआरवी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के अनुसार साक्षे चार लाख के कीरीह है, जिन्हें जमानत नहीं मिलती।

अपने यहां मुकदमे लेवे समय तक चलते रहते हैं। जेलों की संख्या कम है और मामले बहुत ज्यादा। दूसरे जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तो आरोपी को जमानत देना गलत नहीं है बशरे वह खतरनाक किस का अवार रहता है। जेल लोगों को खात्तर देने से उनको पूरा व्याय नहीं मिलता। जेल वास्तव में अपवादस्वरूप ही इस्तेमाल होती चाहिए।

इस तरीके से रियर्ज जेलबदियों को ही वहां सहना पड़ता, बल्कि आरोपी का पूरा परिवार को ही भुगता पड़ता है। आमतौर में भी आने के कियायेदार ही आरोपी हैं। यदि खान उस साजिश में भी योगदान नहीं पाए तो यह तो फिलवक्त उन्हें जमानत देना ही उचित और तर्कसंगत है।

## आलेख

### पश्चिम बंगाल का निर्भया काण्ड

#### अंजय दीक्षित

लगभग दस-बारह दिन बीत गये जबकि कोलकाता के एक अस्पताल में रात एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलाकार हुआ और उसकी बीमत तरीके से हत्या कर दी गई। कोलकाता की पुलिस व प्रशासन को जिस तेजी से तूफानी कर रखा है, ऐसा नहीं हुआ। बहुत साल पहले दिल्ली में एक बालिका के साथ बलाकार हुआ था और बाद में उसकी हत्या करने वाला यह अपराधी का आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ।

बहुत साल पहले दिल्ली में एक बालिका के साथ बलाकार हुआ था और बाद में उसकी हत्या करने वाला यह अपराधी का आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसके बाद उसे निर्भया काण्ड नाम दिया गया और महिलाओं और विशेष कर बालिकाओं के साथ होने वाले दुराचार पर सखल करने वाली अपराधी का आरोपी है। उसके प्रदेश में हाथरास काण्ड हुआ अब राजनीति के नाम होते रहे। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

अब कल ही ममता बैनर्जी ने मार्किन लाइकाकर कोलकाता काण्ड के आरोपी को फाँसी देने की मांग की है। बीजेपी इसे ममता सरकार की विवलता मान रही है। कांग्रेस के अधीर रंजन भी पश्चिम बंगाल से आते हैं। वे अभी तक लोकसभा में विषय के नेता थे, ऑफिशियली नहीं। क्योंकि पिछली दो लोकसभाओं में कांग्रेस को कुल संसदीय कांग्रेस का संसदीय संसद बनाया था तो भी अधीर रंजन ही उन बीठों में भाग लेते थे जहां विषय के नेता एवं सदस्य होते हैं। इस बार अधीर रंजन वौधारी नुबान वार गये। यूं भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में परस्पर विरोध है। वहां इन्डिया गढ़ बारी में जग चौंकी रही गई।

कोलकाता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई है कि उसने जांच ठीक से नहीं की। असल में ममता बैनर्जी को यह केस के लिए तसीहीन दी गई थी, परन्तु ममता बैनर्जी ने पुलिस को एक हफ्ते का समय दे दिया।

अब इस काण्ड को लोक देशभर की रोज़डे डॉक्टर हड्डताल पर है। पूरे देश में अस्पतालों में ओ.पी.डी. बन रहे हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं। हर काल प्रदेश डॉक्टर की साथ आरोपी ही की रही थी।

असल में कोलकाता के अस्पताल के प्रशासन की सरायान लगती है। रात को जो भी सीनियर स्टाफ है, प्रिसिपल या उसके प्रतिनिधि को रात भर अस्पताल में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर उस दिन रात को तो प्रिसिपल भी मौजूद थे।

पोस्टमार्ट भी रिपोर्ट से पता चला है कि इस बलाकार काण्ड में एक अकेला व्यक्ति नहीं था। कम से कम चार या पांच लोग शामिल थे। क्योंकि उनके बीच पोस्टमार्ट की रिपोर्ट में मिले हैं। बलाकार के साथ-साथ उक महिला डॉक्टर के साथ आरोपी ही की गई। उसके बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रिसिपल ने उसी दिन इसीका दे दिया और चार घण्टे के अन्दर उसे राज्य सरकार ने दूसरे कॉलेज का प्रिसिपल बना दिया। यह सही है न केवल पश्चिम बंगाल पर सभी राज्यों में ऐसी बदनाम हो रही है। परन्तु ममता बैनर्जी की कानूनी की 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण दिया है, उसे आशा जगती है कि केवल सरकार तुरन्त अन्याय लाकर ऐसे मामलों का 24 घण्टे में निपटान करें, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा या फांसी दे दिये। जिसे सभी टी.वी. चैनल दिखाया गया है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता बैनर्जी पर सवाल उठाये हैं। असल में समय है कि केन्द्र सरकार ऐसे बलाकार के मामलों में चौबीस घण्टे में तकनीकीत करके अगले दिन ही उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। सभी देश की महिलाएं अपने को सुरक्षित मानती हैं। मोदीजी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण किया है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता बैनर्जी पर लागू की अपराधों पर लागू होता है। आरोपी भी समय है कि केन्द्र सरकार तुरन्त अन्याय लाकर ऐसे मामलों का 24 घण्टे में निपटान करें, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा या फांसी दे दिये। जिसे सभी टी.वी. चैनल दिखाया गया है।

सभी देश की महिलाएं अपराधों पर लागू होता है। आरोपी भी समय है कि केन्द्र सरकार तुरन्त अन्याय लाकर ऐसे मामलों का 24 घण्टे में निपटान करें, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा या फांसी दे दिये। जिसे सभी टी.वी. चैनल दिखाया गया है।

## विचार-पक्ष

रायपुर, शनिवार 24 अगस्त 2024

### पर्युषण महापर्व 8 सितंबर से 17 सितंबर 2024 पर विशेष

## दसलक्षण महापर्व : विकारों से मुक्ति के दस उपाय

डॉ. सुनील जैन संचय, ललितपुर



जैन धर्म में अहिंसा एवं आत्मा की शुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रत्येक समय हमारे द्वारा किये गये अचेत या बुरे कार्यों से कर्म बंध होता है, जिनका पत्त हमें अवश्य भोगना पड़ता है। शुभ कर्म जीवन व आत्मा के उच्च स्थान तक ले जाता है, वही अशुभ कर्मों से हमारी आत्मा मालिन होती जाती है।

पर्युषण पर्व के दौरान विभिन्न धार्मिक क्रियाओं से आत्मसुद्धि की जाती व मोक्षमार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जनम-मरण के चक्र से मुक्ति पायी जा सके। जब तक अशुभ कर्मों का बंधन नहीं छुट्टा, तब तक अशुभ आत्मा के उच्च स्थान पर नहीं आ सकता।

यह पर्व जीवन में नया परिवर्तन लाता है। दश दिवसीय पर्व हाथ पाने के लिए विसर्जन करने का संदेश देता है।

यह एक ऐसा उत्सव या पर्व है जिसमें आत्मरत होकर व्यक्ति आत्मार्थी बनता है व अलौकिक, आध्यात्मिक आनंद के शिखर पर आरोहण करता हुआ मोक्षमार्ग होने का सद्विद्यास करता है। पर्युषण आत्म जगरण के लिए जाता है। यह एक अपराधिक साजिश आतंक फैलाकर देश की एकता एवं असंतोष को खत्तरे में डालने के लिए रची गई।

यह पर्व जीवन में नया परिवर्तन लाता है। दश दिवसीय पर्व हाथ पाने के लिए विसर्जन करने का संदेश देता है।

यह पर्व जीवन में नया परिवर्तन लाता है। दश दिवसीय पर्व हाथ पाने के लिए विसर्जन करने का संदेश देता है।

यह पर्व जीवन में नया परिवर्तन लाता है। दश दिवसीय पर्व हाथ पाने के लिए विसर्जन करने का संदेश देता है।

यह पर्व जीवन में नया परिवर्तन लाता है। दश दिवसीय पर्व हाथ पाने के लिए विसर्जन करने का संदेश देता है।

यह पर्व जीवन में नया प







